13.31 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to set up Hydro-electric projects in Himachal Pradesh

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, देश के अन्य प्रदेशों में हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां विद्युत का अधिक उत्पादन है और उत्पादन बढ़ाये जाने के लिए भी लगभग 12 सौ मेगावाट से अधिक बिजली वहां के दरियाओं, नदियां पर पन-बांध बनाकर पैदा की जा सकती है, जिसका ब्यौरा राज्य सरकार के पास मौजूद है। बहुत से कारखाने दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में लग सकते हैं और इलेक्ट्रोनिक के छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए भी वहां की जलवायु अच्छी है। इसके अलावा यह प्रदेश शांतिप्रिय है। वहां से बहुत से अन्य राज्यों को पन-बिजली सप्लाई की जाती है। परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार को भाखड़ा डैम व जोगिन्दर नगर पन-बिजली में से जब पंजाब का विभाजन हुआ उसमें उन्हें 7,19 फीसदी बिजली की रायल्टी मिलनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक यह रायल्टी की राशि दो प्रतिशत ही मिल रही। इसलिए मैं भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति का सुधार करने के लिए जब से पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल रिआर्गेनाइजेशन हुये हैं उस समय से लेकर आज तक जो बकाया धनराशि हिमाचल प्रदेश की रायल्टी की राज्यों को देनी है उसे दिलाई जाये। हिमाचल के इन दरियाओं पर पन-बिजली लगाने हेतु भारत सरकार अधिक राशि दे ताकि हिमाचल में उद्योग लग सकें और वहां की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और मैं मांग करूंगा कि दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किये जायें।

(ii) Need for high level inquiry into the irregularities indulged by the cooking gas dealers

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, देश के विभिन्न स्थानों पर खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की भारी कमी है जिसके कारण उपभोक्ताओं को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की आम शिकायत है कि गैस बेचने वाले एजेन्ट्स निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा उपभोक्ताओं से लेते है और फिर भी महीने बीस दिन बाद उनको गैस देते हैं। यह भी शिकायत है कि जिन लोगो के पास गैस के कनेक्शन नहीं हैं उनको गैस से एजेन्टस मनमानी कीमत लेकर गैस सप्लाई करते हैं। यह बड़ी विकट समस्या है। मेरे जिला अलीगढ़ में भी यही हाल है।

मेरा सुझाव है कि सरकार किसी गुप्त और उच्च स्तरीय एजेन्सी से सभी गैस डीलरों की जांच कराये और दोषी पाये जाने वाले डीलरों की डीलरशिप निरस्त कराये ताकि दूसरे डीलरों को भी सबक मिले और उपभोक्ताओं को राहत मिले

(iii) Need to finalise the service conditions of employees of Coal Mines Labour Welfare Organisation before its merger with C.I.L.

SHRI AJIT KUMAR SAHA (Vishnupur) : Government of India took a decision in 1980 to transfer 11 Regional Hospitals functioning under Coal Mines Labour Welfare Organisation to the various subsidiaries of Coal India Limited and accordingly more than 520 employees serving in various categories were forced